(c) to (f) The figures of overdues ior June, 1990 are not available. While cooperative banks are mainly involved in financing agricultural and rural development activities, the same is only one sector for financing for the commercial banks and as such the comparison between the two may not be wholly appropriate. The banks take a number of steps to improve recovery performance in respect of their advances. These guidelines relate to banks taking effective measures 1-ke strengthening and gearing up of orga-nisationsil structure both at controlling offices and field level, adopting systematic approach to lending, toning up pre-lending appraisal system and post lending supervision techniques involving, *inter-alia,* constant contact with the beneficiaries to ensure that the defaults are brought down to minimum and launching of recovery drives With the help of State Government officials. The banks have also been advised by Reserve Bank of India to create a separate recovery cells for a cluster of nearby branches for continuous and effective supervision and recovery where overdues exceed 50 per cent of demand and agricultural advances are sizeable.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी और गबन के मामलों में वृद्धि

895. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री लरान सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी और गबन के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1987–88, 1988–89 और 1989–90 के वर्षों के दौरान, ऐसे मामलों की वर्षवार संख्या कितनी थी और इन मामलों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं और बैंक के कार्यकरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक धोखाधड़ियों पर सांख्यिकीय आंकड़ों के समेकन और रख-रखाव संबंधी वर्तमान प्रणाली से बैंकों में गबन के मामलों के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है । बहरहाल, वर्ष 1987, 1988 और 1989 के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि नीचे दर्शायी गई है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि
1987	1902	4087.34
1988	1834	2902.24
1989	1584	5021.67

(आंकड़े अनन्तिम)

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ने ही धोखाधड़ियों के मामलों का रोकने और उनका तुरन्त पता लगाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं । बैंकों ने विस्तृत लेखा प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को भी निर्धारित किया है। प्रतिवर्ष कार्य योजनायें तैयार की जाती है और तिमाही आधार पर उनकी सरकारी स्तर पर समीक्षा की जाती हैं। इन कार्य योजनाओं में निवारक उपायों पर बकों द्वारा अध्ययन किये जाने के साथ-साथ धोखाधड़ियों के मामलों में बैंकों द्वारा की गयी दण्डात्मक कार्रवाई

पर निगरानी रखना शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्ग निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ बैंकों को अपने नियंत्रक तन्त्र को मजबूत बनाने के लिये कहा गया है, ताकि कदाचारों की सम्भावनाओं से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थापित एक विशेष जांच कक्ष धोखाधड़ी के बड़े मामलों पर निगरानी रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की प्रकृति संबंधी किये गये अध्ययनों पर आधारित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है/सुझाव दिये जाते हैं ताकि भविष्य में धोखाधड़ियों को रोका जा सके। बैंकों द्वारा किये गये विभिन्न निवारक उपायों से पर्याप्त सीमा तक धोखाधड़ी के मामलों का शीघ्र पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में सफलता प्राप्त हुई है।

पंजाब में इस्पात एककों को पेश आ रही समस्याएं

896. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 नवम्बर, 1990 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स में "पंजाब गवर्नमेंट पालिसीज हिट स्टील यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन इस्पात-निर्माताओं की वास्तविक समस्याओं के निराकरण के लिये कोई प्रयास किये हैं;

(ग) क्या सरकार आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल, कोयला, बिजली आदि की यथेष्ट आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) सरकार ने इस समाचार को देख लिया है।

(ख) से (घ) इस्पात विनिर्माताओं की विशिष्ट समस्यायें जब भी कभी सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं, उनकी जांच की जाती है और समय-समय पर उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

चिकित्सा उद्योग पर आयात नीति का प्रभाव

897. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स "इम्पोर्ट पालिसी इरक्स मेडिकल इण्डस्ट्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान चिकित्सा इलैक्ट्रोनिकी उपकरणों के निर्माताओं द्वारा यथा उल्लिखित समस्याओं की ओर भी दिलाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उद्योग की समस्याओं का हल करने के प्रयास करना एक सतत प्रक्रिया है और चिकित्सा इलैक्ट्रॉनिकी उपकरणों के विनिर्माण में लगे उद्योगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति-परिवर्तन से पूर्व विचार किया जाता है।